

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

हरजिन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 116/2021

निर्णय दिनांक :- 12.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व राज्यी बादी स्वयं देश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -  
बादर बादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत लगे से स्वीकार किया जाकर एक 42 एक की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 16/14 में अंकित नाम गुरा सिंह पुत्र गुरनाम सिंह के स्थान पर गुरा सिंह उर्फ गुरनाम सिंह पुत्र गुरनाम सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व लक्ष्य बन्दुन लगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अंकन किया जावे।  
आज दिनांक 12.11.2021 को यह पचा डिक्री भेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

  
{सुभाष चन्द्र (आर ए एस)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड राजस्व (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

विवरण	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
राजस्व अन्वयेतवा	02	00	स्टाम्प बकालतनामा	00	00
राजस्व बकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
राजस्व लुटो	00	00	मेहनताना बकली पर	00	--
	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 433

प्रतिलिपि सहस्रोतदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

  
{सुभाष चन्द्र (आर ए एस)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड राजस्व (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर  
दिनांक: 12/11/21

  
{सुभाष चन्द्र (आर ए एस)}  
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड राजस्व (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर